

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No.2017/TG-I/23/P/YTSK

New Delhi, Dated: 29.01.2019

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 03 of 2019)

Sub: Modifications in YTSK policy.


Ref: Commercial Circular Nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21 & 59 of 2015.

In the YTSK scheme issued/modified vide instructions mentioned above, there is a provision for realization of system access charge from the YTSK licensee @ ₹ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal. Further, instructions were issued vide CC No. 55 of 2017, inter-alia, advising that in case YTSKs desire to have separate PRS and UTS terminal, the same may be provided to them. However, the entire cost for its installation as well as recurring cost of its maintenance shall be borne by the licensee.

2. A clarification was sought by Northern railway regarding realization of system access charge for the separate UTS terminals provided to YTSK licensee. The matter has been examined in Board's office and it has been decided that no system access charges should be realized for exclusive UTS counter provided to YTSK for issuing only unreserved tickets from their premises. CRIS shall, however, ensure that only unreserved tickets are issued from such counters and there is no scope of issuing reserved tickets from these counters.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.



(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK

Date: 29.01.2019

Copy forwarded to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.


for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

Copy to:

1. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
2. CCM/PMS and CCM/PSSs, all Zonal Railways.
3. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
4. MD/IRCTC, B. 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-1/23/पी/वाईटीएसके

नई दिल्ली, दिनांक: 29.01.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.03)

विषय: वाईटीएसके नीति में आशोधन।

संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 & 45 और 2015 के 21 एवं 59.

उक्त उल्लिखित अनुदेशों के तहत जारी/आशोधित की गई वाईटीएसके योजना में, वाईटीएसके लाइसेंसधारी से प्रत्येक नवीकरण के समय 1.6 लाख प्रति टर्मिनल की दर से सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 2017 के सीसी सं. 55 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि यदि वाईटीएसके पीआरएस और यूटीएस टर्मिनल अलग-अलग चाहते हैं, तो उन्हें वह प्रदान किया जाए। बहरहाल, टर्मिनल की स्थापना की कुल लागत और उसके रख-रखाव की आवर्ती लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

2. उत्तर रेलवे द्वारा वाईटीएसके लाइसेंसधारी को अलग से मुहैया कराये गए यूटीएस टर्मिनल के लिए सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके से उनके परिसर से केवल अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए मुहैया कराए गए विशेष यूटीएस काउंटर के लिए कोई सिस्टम एक्सैस प्रभार नहीं लिया जाएगा। बहरहाल, क्रिस यह सुनिश्चित करेगा कि इन काउंटरों से केवल अनारक्षित टिकट ही जारी किए जाएं और इन काउंटरों से आरक्षित टिकट जारी करने की कोई गुंजाइश न हो।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएँ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(समीर कुमार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2017/टीजी-1/23/पी/वाईटीएसके

दिनांक: .01.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।

निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
2. सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक वित्त (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71।